FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत...मुकाम...

दुर्गाराम .... बनाम .... भूराराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन .... नं. 20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आयन्दा दिनांक 11/03/2020 को पेश हो।	
11/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 6 के नोटिस तामिल व विप्रार्थी संख्या-7 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-7 की फौतगी सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने मय संशोधित रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया गया। विप्रार्थी संख्या-7 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री नरपत जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी [illegible] 7 के कायम मुकाम के अधिवक्ता [illegible] (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	जवाब पेश नहीं करना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करना चाहते हो जिनका जवाब बन्द किया जाता है बोध विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/06/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

10/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणो के खेतो के बीच जो पुरानी माढें व कणों आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने के लिए अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखम बंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखम बंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 370 दिनांकः–10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –20 / 2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री दुर्गाराम पुत्र उदाराम,
जाति–भील, निवासी–रूगोणी
मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु
भीमजी तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री भुराराम पुत्र गुलाराम वगैरा 08,
जाति–भील, निवासी–रूगोणी
मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 864 / 727 रकबा 1.7879 हैक्टर व मौजा बनिया धोरा बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 52 रकबा 1.0922 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–

क्रमांक / आवेदन / 2020 /

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र उदाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री भुराराम पुत्र गुलाराम वगैरा 08।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested